

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर**

**(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)**

**पत्रावली संख्या : 26/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)**

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

**बनाम**

रवि गर्ग पुत्र रघुवीर प्रसाद गर्ग उम्र 25 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स न्यू रवि डेयरी, हीरादास भरतपुर निवासी-सी-47, सुभाष नगर भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

**निर्णय**

**दिनांक : 25.10.2021**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 16.03.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 25.10.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 26.11.2020 को प्रातः 11.40 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स न्यू रवि डेयरी, हीरादास भरतपुर का निरीक्षण किया

निर्णयन अधिकारी  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
भरतपुर (राज.)

न्याय निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु डीप ड्रीज में प्लास्टिक की एक बड़ी बाल्टी में 12 किग्रा0 पनीर रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1180/एक्ट/2020/1252 दिनांक 31.12.2020 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पनीर विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स न्यू रवि डेयरी, हीरादास भरतपुर से पनीर की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जांच रिपोर्ट में अवमानक (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त पनीर के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त पनीर की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैर सायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडैक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 26.11.2020 को प्रातः 11.40 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु पनीर करीब 12 किग्रा0 रखा हुआ पाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1180/एक्ट/2020/1252 दिनांक 31.12.2020 द्वारा उक्त पनीर का नमूना अवमानक स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Moisture%(By Weight) का मानक 60.0% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 61.20% पाया गया है जो निर्धारित मानक से अधिक है। इसी प्रकार Total Milk Solids/Dry Matter (By

ht) का मानक **Shall not be less than 40.0%** पाया जाना चाहिये था परन्तु इसका 38.80% पाया गया जो निर्धारित मानक से कम है। दौरान सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोजेक्ट का विक्रय स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त नियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 100/-रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



(बीना महावर)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज.)